न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –1/2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/50

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म भोला टी –स्टॉल बृज टॉकिज के पीछे नयापुरा कोटा जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

दिनांकः– 19.5.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की जांच के कम में दिनांक 02.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, नयापुरा क्षैत्र में बृज टॉकिज के पीछे नयापुरा, कोटा में संचालित भोला टी स्टॉल मौके पर पहुंचे । मौके पर मुकेश कुमार प्रजापति, उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया । जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच का कार्य सम्पादित किया गया । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त टी–स्टॉल में जहां 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) गैस चुल्हे से जुड़ा हुआ पाया गया जिस पर चाय बनाई जा रही थी । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलु उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था । मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान श्री गैस एजेंसी के डिलीवरी मेन श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र रामप्रताप बैरवा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये है ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	HPCL	268235	14.2	15.0	19.0	3.0	घरेलू
	HPCL	405829	14.02	15.2	15.9	0.7	

इस प्रकार नयापुरा क्षैत्र में बृज टाकीज के पीछे नयापुरा कोटा में स्थित भोला टी–स्टॉल के मालिक मुकेश कुमार के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत

उक्तानुसार अधिग्रहित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) को राजसात करने का आदेश प्रदान करें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।

3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।

4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है जो भोला टी स्टॉल बृज टाकीज के पीछे नयापुरा कोटा में चाय पिलाने का व्यवसाय करके इस भयंकर मंगाई में गुजर बसर करता है । दिनांक 2.2.2026 को प्रवर्तन अधिकारी नयापुरा कोटा द्वारा जांच करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर गैस के चूल्हे से जुडे पाये जिस पर चाय बनाई जा रही थी, जिसे जब्त सरकार किया गया । प्रार्थी का व्यावसायिक गैस चाय बनाते बीत गया तो प्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर जो एक तो मेरे नाम से था, दूसरी मेरी माता द्वारकाबाई के नाम से थे, जिन्हें प्रार्थी घर से उठा कर चाय की दुकान पर लाकर चाय पिलाने का कार्य किया । क्योंकि प्रार्थी को सख्त आवश्यकता थी इसलिए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग में लिया । प्रार्थी की गलती हो गयी, आयंदा घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग नहीं करूंगा । अतः प्रार्थी का उक्त घरेलू गैस जब्तशुदा प्रार्थी को लोटाया जावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर अप्रार्थी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित समझते है ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा